[2020] 1 उम. नि. प. 44

बलवान सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

[2015 की दांडिक अपील सं. 727 इसके साथ 2016 की दांडिक अपील सं. 1197]

6 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागौडर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 148 और 149 – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्तों की दोषसिद्धि – जहां घटना के अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन घटना के आठ दिन पश्चात् अभिलिखित किए गए हों, उनका मूल्यांकन करने पर कथन बनावटी और मनगढ़ंत पाए गए हों, अभियुक्तों से बरामद रक्तरंजित आयुधों पर लगे रक्त का न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह अवधारण न हो सका हो कि यह मानव रक्त था और मृतक के रक्त समूह का था, वहां ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है और उन्हें दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त सं. 1-बलवान सिंह (2015 की दांडिक अपील सं. 727 में अपीलार्थी), पिताम्बर सिंह (मृतक) के साथ पुरानी दुश्मनी को लेकर तारीख 22 जनवरी, 2007 को, संध्या के समय, अन्य अभियुक्तों के साथ पिताम्बर सिंह की हत्या करने की तैयारी के संबंध में बातचीत कर रहा था । उनकी बातचीत सुंदर लाल राठौड़ **उर्फ** सुंदर सिंह राठौड़ (अभि. सा. 11) और शत्रुघन सिंह (अभि. सा. 12) द्वारा सुनी गई थी, जो उस स्थान से होकर गुजर रहे थे । इसके अतिरिक्त, अभियोजन का यह भी पक्षकथन था कि सभी अभियुक्त घातक आयुधों से लैश होकर भगवत सेठ के खेत की ओर गए और पिताम्बर सिंह की हत्या कर दी । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16, जो घटनास्थल के निकट थे, क्षतिग्रस्त की चीख-पुकार सुनकर

घटनास्थल की ओर दौड़े और सभी अभियुक्तों को मृतक पर लाठियों और ताब्बल (लोहे का बना एक कृषि उपकरण) से हमला करते हुए देखा । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 द्वारा यह कथन किया गया कि ताब्बल अभियुक्त सं. 4, अर्थात् अशोक सिंह लिए हुए था । क्षतिग्रस्त की तुरंत मृत्यु हो गई और अभियुक्त भाग गए । शव अगली सुबह 7.00 बजे द्रुपद सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा देखा गया था, जिसने इसके पश्चात् नर सिंह राजपूत (अभि. सा. 17), इत्तिलाकर्ता को सूचित किया । उसके पश्चात्, द्रुपद सिंह और नर सिंह राजपूत एक साथ उस स्थान पर गए जहां शव पड़ा हुआ था और देखा कि पिताम्बर सिंह की हत्या कर दी गई थी । मृतक इत्तिलाकर्ता का चाचा था । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, के परिसाक्ष्यों तथा अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12, जिन्होंने मृतक की हत्या करने के षड्यंत्र के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था, के परिसाक्ष्यों पर विश्वास करते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया । अपील में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन भी आक्षेप विरचित किया गया था, किंतु उक्त अपराध की बाबत अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियुक्तों ने निचले न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यद्यपि घटना तारीख 22 जनवरी, 2007 को घटित हुई थी, अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 के कथन घटना के आठ दिन पश्चात् अभिलिखित किए गए थे । अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब को यह दलील देते हुए स्पष्ट करने की कोशिश की कि वे अभियुक्तों, विशिष्ट रूप से बलवान सिंह, से डरे हुए थे जो कि गांव का सरपंच (पंचायत का सभापति) था ; अभियुक्त बलवान सिंह कथित रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली था ; कुछ अभियुक्तों के गिरफ्तार होने के पश्चात् ही ये साक्षी गांव में आए और अन्वेषण के अनुक्रम में पुलिस को अपने बयान दिए ; उस समय तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 9

और अभि. सा. 16 गांव में आए ही नहीं थे और भिन्न-भिन्न गांवों में अपने-अपने नातेदारों के मकानों में ठहरे हुए थे । न्यायालय को इस तथ्य का भान है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन अभिलिखित करने में विलंब होने मात्र से स्वयमेव ही न्यायालय के मस्तिष्क में अभियोजन पक्षकथन की सत्यता के बारे में, विशिष्ट रूप से, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सत्यता के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता है । प्रसामान्य अनुक्रम में, यह न्यायालय समय के हिसाब से पहले कथन अभिलिखित न करने के लिए साक्षियों या अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेता है, किंतु इस मामले के तथ्य भिन्न हैं क्योंकि अभियोजन साक्षियों, विशिष्ट रूप से अन्वेषक अधिकारी, द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अभि. सा. 9 गांव में ही मौजूद था । अभि. सा. 2 और अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान अभि. सा. 9 को, गांव का पटेल (पटवारी) होने के नाते, देखा था । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत होने के पश्चात् पुलिस गांव आई थी, तब उसने अभि. सा. 9 को घटनास्थल पर देखा था । अभि. सा. 2 कोई और नहीं अपितु अभि. सा. 9 का छोटा भाई है और ये एक ही मकान में अलग-अलग रह रहे थे । इस प्रकार, अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर, जहां तक इसका संबंध अभि. सा. 9 की गांव में मौजूदगी और जब पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया था तब घटनास्थल पर मौजूदगी से है, अविश्वास नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी ने भी यह साक्ष्य दिया है कि गांव सिमारिया, जहां घटना घटी थी, पहुंचने के तुरंत पश्चात् उसने पटेल (अभि. सा. 9) को बुलाया था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि उसने अभि. सा. 9 को घटनास्थल पर बुलाया था और वह (अभि. सा. 9) अन्वेषण के दौरान मौजूद था । यदि अभि. सा. 9 वास्तव में घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होता, तो वह गांव का पटेल होने के नाते प्रथम बार में अन्वेषक अधिकारी से घटना के बारे में और अभियुक्तों की सह-अपराधिता के बारे में तथ्य को नहीं छिपाता । अन्वेषक अधिकारी ने स्वयमेव यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने अभि. सा. 9 का कथन तारीख 30 जनवरी, 2007 को अभिलिखित किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि अभि. सा. 9 ने अन्वेषक अधिकारी को यह सूचित नहीं किया था कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था । अन्वेषक

अधिकारी ने स्वेच्छया अभि. सा. 9 का कथन अभिलिखित किया था । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अन्वेषक अधिकारी पहले दिन से ही अच्छी तरह यह जानता था कि अभि. सा. 9 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । कोई कारण नहीं था कि अन्वेषक अधिकारी ने क्यों यथा समय इस तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का कथन अभिलिखित नहीं किया था, अति विशिष्ट रूप से, जब उस समय पर अन्वेषक अधिकारी के पास हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं था । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 घनिष्ठ मित्र हैं और घटना की तारीख को गांव में रात्रि के दौरान पंथी नृत्य देखने के लिए एक साथ गए थे और उस समय उन दोनों ने मृतक की चीख-पुकार सुनी थी और घटनास्थल पर गए थे तथा अभियुक्तों को मृतक की हत्या करते हुए देखा । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 का यह भी साक्ष्य है कि अभियुक्तों ने इन साक्षियों को हत्या की घटना के समय देखा था क्योंकि इन साक्षियों ने सभी अभियुक्तों को मृतक को न पीटने/हमला करने के लिए कहा था । इन साक्षियों की यह बात सुनकर अभियुक्तों ने अभिकथित रूप से उनका पीछा करने की कोशिश की, किंतु वे घटनास्थल से भाग गए थे । यदि इस बात में सच्चाई होती तो अभि. सा. 9, जो पहले दिन ही अन्वेषण के दौरान घटनास्थल पर मौजूद था, ने पुलिस को अभि. सा. 16 के भी घटना के समय मौजूद होने के बारे में सूचित किया होता । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अभि. सा. 16 एक भिन्न गांव, अर्थात् कुसुमकोंडा का है जो घटनास्थल से 75 कि. मी. दूर होना बताया गया है और घटना की तारीख को वह गांव सिमारिया, जहां घटना घटी थी, आया था । अभि. सा. 16 का कार्यस्थल तकतपुर है, जो सिमारिया गांव से 70 कि. मी. दूर होना बताया गया है । यह विचित्र बात है कि अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 घटना की तारीख को लगभग 15 वर्षों के अंतराल के पश्चात् मिले थे और उसके पश्चात् नृत्य प्रदर्शन देखने चले गए । न्यायालय की सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी कि अभि. सा. 9 ने अन्वेषक अधिकारी को अभि. सा. 16 की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था, विश्वसनीय नहीं है । अभि. सा. 16 के अनुसार, वह गांव सिमारिया में आठ दिनों के पश्चात् अर्थात् कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात् आया था और पुलिस को बयान दिया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, बलवान सिंह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली

व्यक्ति है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उससे डरे हुए थे । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि घटना के आठ दिनों के पश्चात् अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 के कथन अभिलिखित करने के समय पर भी बलवान सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया था । उसे इन साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के लगभग दो माह पश्चात् गिरफ्तार किया गया था । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि ये साक्षी अन्य अभियुक्तों से तो नहीं डरे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था । जो भी स्थिति हो, न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि घटना के समय अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में अभियोजन पक्ष का वृत्तांत बनावटी और मनगढ़ंत है । अभियोजन पक्ष ने लाठियों और ताब्बल जिन पर रक्त लगा हुआ था, की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य का भी अवलंब लिया है । इस मामले में ऐसा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए उपयोगी नहीं हो सकेगा क्योंकि यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि इन वस्तुओं पर मानव रक्त लगा हुआ था और अति विशिष्ट रूप से उसी रक्त समूह का रक्त जो मृतक का रक्त समूह था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, रक्त के धब्बे विघटित हो गए थे और उनके स्रोत को अवधारित नहीं किया जा सका था । प्रस्तुत मामले में, तद्नुरूप, न्यायालय बरामदगी पर कुछ अवलंब ले सकता था यदि अभियोजन पक्ष ने कमोवेश यह याबित किया होता कि रक्त मानव का था । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 के साक्ष्य पर चर्चा करते हुए, जैसा कि ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अभियोजन पक्ष ने प्रक्रम-दर-प्रक्रम मामले को गढ़ने की कोशिश की है । इसलिए, ऐसी सकारात्मक सामग्री, जिससे यह उपदर्शित होता हो कि अभिरंजित रक्त मानव का था और उसी रक्त समूह का था जो अभियुक्त का रक्त समूह था, के अभाव में इस न्यायालय के लिए आयुधों और ताब्बल की बरामदगी के पहलू पर विश्वास करना कठिन है और ऐसी बरामदगी से अभियोजन के पक्ष के कथन को कोई सहायता नहीं मिलती है । उपरोक्त सामग्री को, जो कि ढुलमुल है, देखते हुए न्यायालय के मस्तिष्क में अभियोजन के पक्षकथन की उत्पत्ति के बारे में संदेह उत्पन्न होता है । न्यायालय की सुविचारित राय में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों तथा अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के साक्ष्य का अवलंब लेकर न्यायोचित नहीं किया था और बरामदगी के पहलू पर भी

पहले उल्लिखित कारणों से उनका अवलंब लेना न्यायोचित नहीं था । (पैरा 6, 7, 8, 14 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 8 एस. सी. सी. 127 : **प्रभू दयाल** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	12
[2013]	(2013) 14 एस. सी. सी. 266 : **आर. शाजी** बनाम **केरल राज्य** ;	9,10
[2012]	(2012) 11 एस. सी. सी. 768 : **जगरूप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	9,10
[2010]	(2010) 14 एस. सी. सी. 129 : **जॉन पांडियन** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु** ;	11
[2008]	(2008) 16 एस. सी. सी. 354 : **शांताबाई और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	8
[2008]	(2008) 3 एस. सी. सी. 210 : **सत्तातिया** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	8
[2001]	(2001) 2 एस. सी. सी. 205 : **गुरा सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	9,10
[1999]	(1999) 3 एस. सी. सी. 507 : **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजा राम और अन्य** ;	9,10,12
[1963]	ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 74 : **राघव प्रापन्ना त्रिपाठी और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ।	8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 727. (इसके साथ 2016 की दांडिक अपील सं. 1197)

2011 की दांडिक अपील सं. 178 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के तारीख 10 फरवरी, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री संजय हेगड़े, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सर्वम रितम खरे, (सुश्री) स्वेता चौरसिया, प्रांजल किशोर, राहुल तोमर, राजीव कुमार बंसल, एम. पी. सिंह और अक्षय के. घई

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री प्रणव सचदेवा, (सुश्री) नेहा राठी, जतिन भारद्वाज, अभिनव श्रीवास्तव और रुपेश कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागौडर ने दिया ।

न्या. शांतनागौडर – ये अपीलें 2011 की दांडिक अपील सं. 178 और 2011 की दांडिक अपील सं. 179 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के तारीख 10 फरवरी, 2015 के उस निर्णय से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा 2010 के सेशन विचारण सं. 57 में अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, पेंडरा रोड, जिला बिलासपुर द्वारा अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध और तद्नुसार दंडादिष्ट करते हुए तारीख 20 जनवरी, 2011 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई है ।

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियुक्त सं. 1-बलवान सिंह (2015 की दांडिक अपील सं. 727 में अपीलार्थी), पिताम्बर सिंह (मृतक) के साथ पुरानी दुश्मनी को लेकर तारीख 22 जनवरी, 2007 को, संध्या के समय, अन्य अभियुक्तों के साथ पिताम्बर सिंह की हत्या करने की तैयारी के संबंध में बातचीत कर रहा था । उनकी बातचीत सुंदर लाल राठौड़ **उर्फ** सुंदर सिंह राठौड़ (अभि. सा. 11) और शत्रुघन सिंह (अभि. सा. 12) द्वारा सुनी गई थी, जो उस स्थान से होकर गुजर रहे थे । इसके अतिरिक्त, अभियोजन का यह भी पक्षकथन था कि सभी

अभियुक्त घातक आयुधों से लैश होकर भगवत सेठ के खेत की ओर गए और पिताम्बर सिंह की हत्या कर दी । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16, जो घटनास्थल के निकट थे, क्षतिग्रस्त की चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़े और सभी अभियुक्तों को मृतक पर लाठियों और ताब्बल (लोहे का बना एक कृषि उपकरण) से हमला करते हुए देखा । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 द्वारा यह कथन किया गया कि ताब्बल अभियुक्त सं. 4, अर्थात् अशोक सिंह लिए हुए था । क्षतिग्रस्त की तुरंत मृत्यु हो गई और अभियुक्त भाग गए ।

शव अगली सुबह 7.00 बजे द्रुपद सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा देखा गया था, जिसने इसके पश्चात् नर सिंह राजपूत (अभि. सा. 17), इत्तिलाकर्ता को सूचित किया । उसके पश्चात्, द्रुपद सिंह और नर सिंह राजपूत एक साथ उस स्थान पर गए जहां शव पड़ा हुआ था और देखा कि पिताम्बर सिंह की हत्या कर दी गई थी । मृतक इत्तिलाकर्ता का चाचा था ।

3. विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपील न्यायालय ने अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, के परिसाक्ष्यों तथा अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12, जिन्होंने मृतक की हत्या करने के षड्यंत्र के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था, के परिसाक्ष्यों पर विश्वास करते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन भी आरोप विरचित किया गया था, किंतु उक्त अपराध की बाबत अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था ।

4. अपीलार्थी बलवान सिंह की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री संजय हेगड़े और अपीलार्थी लटेल राम तथा संतू **उर्फ** संतराम की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री राजीव कुमार बंसल ने न्यायालय का ध्यान महत्वपूर्ण साक्षियों के अभिसाक्ष्यों के सुसंगत भागों की ओर आकर्षित किया और यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों को अभियोजित करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 को गढ़ा था, यद्यपि ये

साक्षी घटनास्थल के निकट नहीं थे । उन्होंने यह दलील दी कि इन अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन प्रश्नगत घटना के लगभग आठ दिन पश्चात् अभिलिखित किए गए थे, यद्यपि वे गांव में ही मौजूद थे या यद्यपि पुलिस जानती थी कि ये साक्षी घटना के अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल के अनुसार, अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 का साक्ष्य अस्पष्ट, रहस्यमय और अविश्वसनीय है क्योंकि निचले न्यायालयों ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया है ।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने निचले न्यायालयों के निर्णयों के समर्थन में तर्क दिए ।

6. हम अभिलेख से यह पाते हैं कि यद्यपि घटना तारीख 22 जनवरी, 2007 को घटित हुई थी, अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 के कथन घटना के आठ दिन पश्चात् अभिलिखित किए गए थे । अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब को यह दलील देते हुए स्पष्ट करने की कोशिश की कि वे अभियुक्तों, विशिष्ट रूप से बलवान सिंह, से डरे हुए थे जो कि गांव का सरपंच (पंचायत का सभापति) था ; अभियुक्त बलवान सिंह कथित रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली था ; कुछ अभियुक्तों के गिरफ्तार होने के पश्चात् ही ये साक्षी गांव में आए और अन्वेषण के अनुक्रम में पुलिस को अपने बयान दिए ; उस समय तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 गांव में आए ही नहीं थे और भिन्न-भिन्न गांवों में अपने-अपने नातेदारों के मकानों में ठहरे हुए थे ।

हमें इस तथ्य का भान है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन अभिलिखित करने में विलंब होने मात्र से स्वयमेव ही न्यायालय के मस्तिष्क में अभियोजन पक्षकथन की सत्यता के बारे में, विशिष्ट रूप से, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सत्यता के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता है । प्रसामान्य अनुक्रम में, यह न्यायालय समय के हिसाब से पहले कथन अभिलिखित न करने के लिए साक्षियों या

अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेता है, किंतु इस मामले के तथ्य भिन्न हैं क्योंकि अभियोजन साक्षियों, विशिष्ट रूप से अन्वेषक अधिकारी, द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अभि. सा. 9 गांव में ही मौजूद था । अभि. सा. 2 और अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान अभि. सा. 9 को, गांव का पटेल (पटवारी) होने के नाते, देखा था । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत होने के पश्चात् पुलिस गांव आई थी, तब उसने अभि. सा. 9 को घटनास्थल पर देखा था । अभि. सा. 2 कोई और नहीं अपितु अभि. सा. 9 का छोटा भाई है और ये एक ही मकान में अलग-अलग रह रहे थे । इस प्रकार, अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर, जहां तक इसका संबंध अभि. सा. 9 की गांव में मौजूदगी और जब पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया था तब घटनास्थल पर मौजूदगी से है, अविश्वास नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी ने भी यह साक्ष्य दिया है कि गांव सिमारिया, जहां घटना घटी थी, पहुंचने के तुरंत पश्चात् उसने पटेल (अभि. सा. 9) को बुलाया था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि उसने अभि. सा. 9 को घटनास्थल पर बुलाया था और वह (अभि. सा. 9) अन्वेषण के दौरान मौजूद था । यदि अभि. सा. 9 वास्तव में घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होता, तो वह गांव का पटेल होने के नाते प्रथम बार में ही अन्वेषक अधिकारी से घटना के बारे में और अभियुक्तों की सह-अपराधिता के बारे में तथ्य को नहीं छिपाता । अन्वेषक अधिकारी ने स्वयमेव यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने अभि. सा. 9 का कथन तारीख 30 जनवरी, 2007 को अभिलिखित किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि अभि. सा. 9 ने अन्वेषक अधिकारी को यह सूचित नहीं किया था कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था । अन्वेषक अधिकारी ने स्वेच्छया अभि. सा. 9 का कथन अभिलिखित किया था । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अन्वेषक अधिकारी पहले दिन से ही अच्छी तरह यह जानता था कि अभि. सा. 9 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । कोई कारण नहीं था कि अन्वेषक अधिकारी ने क्यों यथा समय इस तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का कथन अभिलिखित नहीं किया था, अति विशिष्ट रूप से, जब उस समय पर अन्वेषक अधिकारी के पास हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं था ।

अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 घनिष्ठ मित्र हैं और घटना की तारीख को गांव में रात्रि के दौरान पंथी नृत्य देखने के लिए एक साथ गए थे और उस समय उन दोनों ने मृतक की चीख-पुकार सुनी थी और घटनास्थल पर गए थे तथा अभियुक्तों को मृतक की हत्या करते हुए देखा । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 का यह भी साक्ष्य है कि अभियुक्तों ने इन साक्षियों को हत्या की घटना के समय देखा था क्योंकि इन साक्षियों ने सभी अभियुक्तों को मृतक को न पीटने/हमला करने के लिए कहा था । इन साक्षियों की यह बात सुनकर अभियुक्तों ने अभिकथित रूप से उनका पीछा करने की कोशिश की, किंतु वे घटनास्थल से भाग गए थे । यदि इस बात में सच्चाई होती तो अभि. सा. 9, जो पहले दिन ही अन्वेषण के दौरान घटनास्थल पर मौजूद था, ने पुलिस को अभि. सा. 16 के भी घटना के समय मौजूद होने के बारे में सूचित किया होता । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अभि. सा. 16 एक भिन्न गांव, अर्थात् कुसुमकोंडा का है जो घटनास्थल से 75 कि. मी. दूर होना बताया गया है और घटना की तारीख को वह गांव सिमारिया, जहां घटना घटी थी, आया था । अभि. सा. 16 का कार्यस्थल तकतपुर है, जो सिमारिया गांव से 70 कि. मी. दूर होना बताया गया है । यह विचित्र बात है कि अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 घटना की तारीख को लगभग 15 वर्षों के अंतराल के पश्चात् मिले थे और उसके पश्चात् नृत्य प्रदर्शन देखने चले गए । हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी कि अभि. सा. 9 ने अन्वेषक अधिकारी को अभि. सा. 16 की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था, विश्वसनीय नहीं है । अभि. सा. 16 के अनुसार, वह गांव सिमारिया में आठ दिनों के पश्चात् अर्थात् कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात् आया था और पुलिस को बयान दिया था ।

7. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, बलवान सिंह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उससे डरे हुए थे । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि घटना के आठ दिनों के पश्चात् अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 के कथन अभिलिखित करने के समय पर भी बलवान सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया था । उसे इन साक्षियों के

कथन अभिलिखित करने के लगभग दो माह पश्चात् गिरफ्तार किया गया था । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि ये साक्षी अन्य अभियुक्तों से तो नहीं डरे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था । जो भी स्थिति हो, हमारा यह निष्कर्ष है कि घटना के समय अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में अभियोजन पक्ष का वृत्तांत बनावटी और मनगढ़ंत है ।

8. अभियोजन पक्ष ने लाठियों और ताब्बल, जिन पर रक्त लगा हुआ था, की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य का भी अवलंब लिया है । इस मामले में ऐसा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए उपयोगी नहीं हो सकेगा क्योंकि यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि इन वस्तुओं पर मानव रक्त लगा हुआ था और अति विशिष्ट रूप से उसी रक्त समूह का रक्त जो मृतक का रक्त समूह था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, रक्त के धब्बे विघटित हो गए थे और उनके स्रोत को अवधारित नहीं किया जा सका था ।

सत्तातिया बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में दोषसिद्धि को उलटने के लिए इस न्यायालय को प्रेरित करने वाला एक निर्णायक कारण यह था कि बरामदगी में अभिगृहीत की गई वस्तुओं पर रक्त के धब्बों को मृतक के रक्त के साथ संबद्ध नहीं किया जा सका था । इस बात को अभियोजन के पक्षकथन में एक गंभीर खामी के रूप में समझा गया था ।

इसी प्रकार, **शांताबाई और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले में अभियुक्त से की गई बरामदगी में अभिगृहीत किए गए वस्त्रों में से कुछ पर पाए गए रक्त के धब्बे मृतक के वस्त्रों और मिट्टी के नमूने, कुल्हाड़ी, पत्थर आदि, जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल से लिए गए थे, पर पाए गए रक्त के धब्बों के रक्त समूह से भिन्न रक्त समूह के थे । इस बेमेल के परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह परिस्थिति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं होती है ।

---

[1] (2008) 3 एस. सी. सी. 210.

[2] (2008) 16 एस. सी. सी. 354.

राघव प्रापन्ना त्रिपाठी और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों का भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है :-

> "21. इस संबंध में, मकान से रक्तरंजित मिट्टी की बरामदगी से संबंधित परिस्थितियां 9 और 10 के प्रति भी निर्देश किया जा सकता है । रक्तरंजित मिट्टी मानव रक्त से रंजित होना साबित नहीं हुआ है । पुनः, हमारी यह राय है कि रक्तरंजित मिट्टी की मात्र मौजूदगी से यह निष्कर्ष निकालना असुकर होगा कि मिट्टी मानव रक्त से रंजित थी और मानव रक्त कमला और मधुसुधन का था । अतः, इन परिस्थितियों का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

अत: पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह विनिर्णय दिया कि उस मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता थी कि मिट्टी या आयुधों पर पाए गए रक्त के धब्बे मानव रक्त के थे और उसी रक्त समूह के थे जो रक्त समूह मृतक का था ।

9. हमें इस वास्तविकता का भी भान है कि कई बार सीरम विज्ञानी के लिए सीरम के विघटन या रक्त के धब्बों की अपर्याप्तता या रुधिर संबंधी परिवर्तनों आदि के कारण रक्त के स्रोत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है । ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करके प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए यदि अभियोजन पक्ष का अन्य साक्ष्य विश्वसनीय है और यदि न्यायालय के मस्तिष्क में अन्वेषण के बारे में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है, तो अभियुक्त को संदेह का फायदा देने से इनकार कर सकता है ।

अतः, **आर. शाजी** बनाम **केरल राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था :-

---

[1] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 74.

[2] (2013) 14 एस. सी. सी. 266.

"31. सीरम विज्ञानी द्वारा सीरम के विघटन के कारण रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल रहने का अर्थ यह नहीं है कि कुल्हाड़ी पर लगा रक्त मानव रक्त हो ही नहीं सकता था । कभी-कभी यह संभव है कि या तो स्वयं धब्बों की अपर्याप्तता के कारण, या रुधिर संबंधी परिवर्तनों और प्लासमा के स्कंदन के कारण सीरम-विज्ञानी प्रश्नगत रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल हो सकता है । तथापि, ऐसे किसी मामले में, जब तक संदेह ऐसी युक्तियुक्त मात्रा का न हो जिसे न्यायिक रूप से विवेकशील मस्तिष्क कुछ वस्तुपरकता के साथ ग्रहण न कर सके, अभियुक्त द्वारा इस संबंध में किसी फायदे का दावा नहीं किया जा सकता है । जब एक बार अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के अनुसरण में बरामदगी की जाती है, तो रक्त समूह (समूहों) का मिलान या अमिलान होना मायने नहीं रखता है ।"

इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकार की मताभिव्यक्तियां **गुरा सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में की गईं थीं, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि रक्त के स्रोत के संबंध में रिपोर्ट के अभाव में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा केवल इसलिए हुआ था कि समय व्यतीत हो जाने के कारण रक्त को सफलतापूर्वक वर्गीकृत नहीं किया जा सका था ।

जगरूप सिंह बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया था कि क्योंकि बरामदगी अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के अनुसरण में की गई थी और सीरम-विज्ञानी की रिपोर्ट में यह पाया गया था कि रक्त मानव का था, इसलिए रक्त समूह का अवधारण न होना मायने नहीं रखता था ।

राजस्थान राज्य बनाम **तेजा राम और अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सीरम का विघटन हो जाने के

---

[1] (2001) 2 एस. सी. सी. 205.

[2] (2012) 11 एस. सी. सी. 768.

[3] (1999) 3 एस. सी. सी. 507.

कारण रक्त के स्रोत का पता लगाने में सीरम-विज्ञानी के असफल रहने का यह अर्थ नहीं है कि आयुध पर लगा रक्त मानव रक्त हो ही नहीं सकता था । इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे सभी मामलों में जब रक्त के स्रोत का पता नहीं लगाया जाता है, वहां आयुध की बरामदगी से उद्भूत परिस्थिति अनुपयोगी की श्रेणी में आ जाएगी । इस प्रकार, यह मत व्यक्त किया गया कि जब तक संदेह ऐसी युक्तियुक्त मात्रा का न हो जिसे न्यायिक रूप से विवेकशील मस्तिष्क कुछ वस्तुपरकता के साथ ग्रहण न कर सके, अभियुक्त द्वारा किसी फायदे का दावा नहीं किया जा सकता है ।

10. तथापि, हम इस वास्तविकता की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि यदि **आर. शाजी** (उपर्युक्त), **गुरा सिंह** (उपर्युक्त), **जगरूप सिंह** (उपर्युक्त) और **तेजा राम** (उपर्युक्त) वाले मामलों में रक्त के धब्बों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित पूर्वोल्लिखित सिद्धांत-वाक्य को प्रत्येक मामले में लागू किया जाता है, तो यह अभियुक्त के लिए अहितकर स्थिति होगी । रक्त समूह या रक्त के स्रोत की पुष्टि न होने की बात का उन मामलों में महत्व हो सकता है, जहां अभियुक्त प्रतिरक्षा में अभियोजन पक्ष पर असद्भाविकता का अभिवाक् करता है या अभिकथन करता है, या अभियोजन पक्ष पर उसे अपराध में गलत रूप से फंसाने के लिए साक्ष्य गढ़ने का दोषारोपण करता है ।

11. **जॉन पांडियन** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि आयुधों की बरामदगी का साक्ष्य विश्वसनीय था । न्यायालयिक प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ था कि रक्त मानव का था । न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि आयुध की बरामदगी का साक्ष्य न्यायालय के समाधानप्रद साबित किया गया था, इसलिए यह पर्याप्त था कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया था कि रक्त के धब्बे मानव रक्त के थे, भले ही रक्त समूह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था ।

---

[1] (2010) 14 एस. सी. सी. 129.

12. ऊपर चर्चा किए गए मामलों में उस भार को रेखांकित किया गया है जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, अभियुक्त के विरुद्ध विचार किए जाने वाले बरामदगी से संबंधित साक्ष्य के लिए निर्वहन करना होगा । साथ-ही-साथ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमें इस वास्तविकता का भी भान है कि बरामदगी में अभिगृहीत की गई वस्तुओं पर पाए गए रक्त के धब्बों को बरामदगी करने में व्यतीत हुए समय की वजह से रक्त के धब्बों का विघटन होने की संभाव्यता के कारण अलंघनीय रूप से मृतक के रक्त से संबद्ध करना सदैव संभव नहीं हो सकता है । इस कारण से **प्रभू दयाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में, जहां हम से एक (न्या. मोहन शांतनागौडर) न्यायाधीश को निर्णय लिखने का अवसर मिला था, इस न्यायालय ने **तेजा राम** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि घटनास्थल से एकत्रित किए गए रक्त के धब्बों के रक्त समूह का अवधारण करने में असफलता अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक साबित नहीं होगी । **प्रभू दयाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में, यद्यपि रक्त के धब्बों का विघटन हो जाने के कारण न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में रक्त समूह का अवधारण नहीं किया जा सका था, तो भी रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता था कि रक्त के धब्बे मानव रक्त के थे और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों तथा हत्या करने में प्रयुक्त आयुध के संबध में प्राक्षेपिकी विज्ञानी और न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों से पूर्ण होती थी ।

13. पूर्वोल्लिखित चर्चा से हम यह सारांश निकाल सकते हैं कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा रक्तरंजित वस्तुओं की बरामदगी को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाता है और यदि अन्वेषण का दूषित होना नहीं पाया जाता है, तब यह पर्याप्त हो सकेगा यदि अभियोजन पक्ष यह दर्शित कर देता है कि वस्तुओं पर पाया गया रक्त मानव रक्त है, भले ही रक्त समूह रक्त का विघटन हो जाने के कारण

---

[1] (2018) 8 एस. सी. सी. 127.

साबित न हुआ हो । न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचेगा और ऐसा कोई निश्चित फार्मूला नहीं हो सकता है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए, या साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कि रक्त समूह मेल खाते हैं ।

14. प्रस्तुत मामले में, तद्नुरूप, हम बरामदगी पर कुछ अवलंब ले सकते थे यदि अभियोजन पक्ष ने कमोवेश यह साबित किया होता कि रक्त मानव का था । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 के साक्ष्य पर चर्चा करते हुए, जैसा कि ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अभियोजन पक्ष ने प्रक्रम-दर-प्रक्रम मामले को गढ़ने की कोशिश की है । इसलिए, ऐसी सकारात्मक सामग्री, जिससे यह उपदर्शित होता हो कि अभिरंजित रक्त मानव का था और उसी रक्त समूह का था जो अभियुक्त का रक्त समूह था, के अभाव में इस न्यायालय के लिए आयुधों और ताब्बल की बरामदगी के पहलू पर विश्वास करना कठिन है और ऐसी बरामदगी से अभियोजन के पक्षकथन को कोई सहायता नहीं मिलती है ।

15. अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 का साक्ष्य शेष रह जाता है, जिन्होंने अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या करने के षड्यंत्र की तैयारी के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी अभियुक्तों को षड्यंत्र के अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया गया था, जिससे यह अभिप्रेत है कि दोनों निचले न्यायालयों के यह समवर्ती निष्कर्ष हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के मृतक की हत्या करने के षड्यंत्र के पहलू को साबित करने में असफल रहा है । जब मृतक की हत्या करने के षड्यंत्र का ही अभाव है, तो अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि बलवान सिंह के मकान में अभियुक्त क्यों इकट्ठा हुए थे ।

16. उपरोक्त सामग्री को, जो कि ढुलमुल है, देखते हुए न्यायालय के मस्तिष्क में अभियोजन के पक्षकथन की उत्पत्ति के बारे में संदेह उत्पन्न होता है । हमारी सुविचारित राय में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों तथा अभि. सा. 11 और अभि.

सा. 12 के साक्ष्य का अवलंब लेकर न्यायोचित नहीं किया था । इसी प्रकार, बरामदगी के पहलू पर भी पहले उल्लिखित कारणों से उनका अवलंब लेना न्यायोचित नहीं था ।

तद्नुसार, ये अपीलें मंजूर की जाती हैं । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थियों को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा करने का निदेश दिया जाता है ।

हमने पाया है कि इन अपीलों में अभियुक्त 1, अभियुक्त 2 और अभियुक्त 7 अपीलार्थी हैं । 2010 के सेशन विचारण सं. 57 में के अन्य अभियुक्तों ने अपील फाइल नहीं की है । चूंकि इस अपील में अपीलार्थियों के संबंध में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है, इस निर्णय का फायदा अन्य अभियुक्तों को भी मिलना चाहिए, जो कि 2010 के सेशन विचारण सं. 57 में दोषसिद्ध किए गए थे । तद्नुसार, 2010 के सेशन विचारण सं. 57 में के अन्य अभियुक्तों, जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल नहीं की हैं, को भी, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरन्त रिहा किया जाएगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.